INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Name ACC - Sunil Chaturvedi
ACC Code - UP14103604
Licence No. - 19/2013-2014
Teh. & Distt. MATHURA

15665
2023

Certificate No.	:	IN-UP29151599413090V
Certificate Issued Date	:	08-Jun-2023 10:50 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14103604/ MATHURA/ UP-MTH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14103604531185361101 71V
Purchased by	:	KMF BUILDERS AND DEVELOPERS LTD
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	GH 2 SECTOR 1 RUKMANI VIHAR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MVDA MATHURA
Second Party	:	KMF BUILDERS AND DEVELOPERS LTD
Stamp Duty Paid By	:	KMF BUILDERS AND DEVELOPERS LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	500 (Five Hundred only)

IN-UP29151599413090V

Please write or type below this line

सम्पत्ति अधिकारी
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा

For KMF Builders & Developers Limited

Director/Authorised Signatory

स्टाम्प अधिनियम की धारा 10
के अन्तर्गत इकरारनामा सं0 762/12
वर्ष 4530750- पर अदा किया गया
स्टाम्प रु0 500/- विक्रय विलेख सं0 15665/23
के साथ समायोजित किया गया।

06-07-2023

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

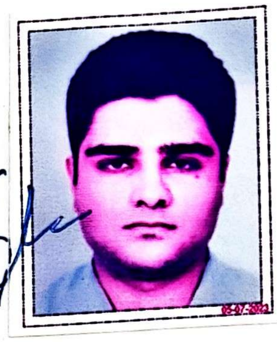

प्राधिकरण भूमि के फ्रीहोल्ड का विलेख

मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण की भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किए जाने हेतु फ्रीहोल्ड का यह विलेख सन् 2023 के......07......मास के......06......वें दिन मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, (जिसको यहाँ आगे चलकर ॥विक्रेता॥ कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा मै0 के0एम0एफ0 बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स लि0, द्वारा श्री गॉर्व चड्डा पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र कुमार चड्डा (डायरेक्टर) पता–907, 9–फ्लोर, विक्रम टॉवर, राजेन्द्र पैलेस, नई दिल्ली–110008 (जिसको यहाँ आगे चलकर।।क्रेता।। कहा गया है) द्वितीय पक्ष, के मध्य लिखा गया है ।

आवंटी द्वारा ई–स्टाम्प सं0–IN-UP-29151599413090V धनांक रू0 500.00 दिनांक 08.06.2023 का संलग्न किया गया है ।

For KMF Builders & Developers Limited

Director/Authorised Signatory

सम्पत्ति अधिकारी
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा

एम0वी0डी0ए0 द्वारा रूक्मणी विहार आवासीय योजना, वृन्दावन ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0—जी0एच0—02 उच्चतम बोली रू0 5,76,69,750.00 में दिनांक 02.06.2011 को आवंटित किया गया है ।

चूँकि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड प्राधिकरण कार्यालय के पत्र सं0—583 दिनॉक 02.06.2011 द्वारा केता को कुल मूल्य रू0 5,77,89,450.00 (रू0 पांच करोड़ सतत्तर लाख नबासी हजार चार सौ पचास मात्र) पर आवंटित किया गया है और इस भूखण्ड को आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शतों के अधीन केता को भूखण्ड से सम्बद्ध भूमि के मूल्य रू0 5,77,89,450.00 (रू0 पांच करोड़ सतत्तर लाख नबासी हजार चार सौ पचास मात्र) के 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क रू0 69,34,734.00 (रू0 उनहत्तर लाख चौंतीस हजार सात सौ चौंतीस मात्र) को भूखण्ड के मूल्य में सन्निहित करते हुए कुल मूल्य रू0 6,47,24,184.00 (रू0 छः करोड़ सेंतालीस लाख चौबीस हजार एक सौ चौरासी मात्र) पर विक्रय किया जाना है तथा जिसके भुगतान केता द्वारा कर दिया गया हैं ।

और चूँकि केता द्वारा देय 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क रू0 69,34,734.00 (रू0 उनहत्तर लाख चौंतीस हजार सात सौ चौंतीस मात्र) का भुगतान विक्रेता को कर दिया गया है जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतदद्वारा स्वीकार करता है ।

और चूँकि क्रेता द्वारा समूह आवास भूखण्ड के कुल निर्धारित मूल्य रू0 5,77,89,450.00 (रू0 पांच करोड़ सतत्तर लाख नबासी हजार चार सौ पचास मात्र) का भुगतान विक्रेता को कर दिया गया है, जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतदद्वारा स्वीकार करता है ।

सम्पत्ति अधिकारी
मथुरा—वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा

For KMF Builders & Developers Limited

Director/Authorised Signatory

और चूँकि बजरिये पंजीकृत इकरारनामा दिनांक 18.01.2012 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक, द्वितीय मथुरा में बही नं0 01 जिल्द 4597 के पृष्ठ 01 से 4468 पर कमांक 763 पर हुयी है के द्वारा केता को वक्त इकरारनामा उक्त भूखण्ड पर वास्तविक कब्जा प्रदान किया जा चुका है और इकरारनामा के वक्त कब्जा सुपुर्दगी के कारण विकय भूखण्ड की मालियत+फीहोल्ड शुल्क रू0 6,47,24,184.00 (रू0 छः करोड़ सेंतालीस लाख चौबीस हजार एक सौ चौरासी मात्र) पर आयद स्टाम्प शुल्क रू0 45,30,000.00 केता वक्त इकरारनामा अदा कर चुका है जिसे मुजरा/समायोजन करते हुए वर्तमान में स्टाम्प शुल्क रू0 500.00 अदा करते हुए उक्त फीहोल्ड विलेख केता विकता से अपने पक्ष में निष्पादित करा रहा है तथा वक्त इकरारनामा केता ने किस्तों द्वारा भूखण्ड के कुल निर्धारित मूल्य व फीहोल्ड शुल्क सहित रू0 6,45,90,120.00 (रू0 छः करोड़ पेंतालीस लाख नब्बे हजार एक सौ बीस मात्र) का भुगतान विकता द्वारा कर दिया गया है जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतदद्वारा स्वीकार करता है साथ ही केता द्वारा टी0डी0एस0 के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि रू0 6,47,242.00 दिनांक 03.05.2023 को जमा कर दिया गया है ।

1. अतः केता को इस विलेख की अनुसूची में वर्णित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड श्रेणी योजना—रूक्मणी विहार आवासीय योजना, वृन्दावन, (मथुरा) स्थित ग्राम सुनरख बांगर के खसरा नं0 873, 884, 909, 914, 945, 966, 1294, 1339 एवं 941/1357 आदि कुल 94 खसरों की अर्जित 67.829 है0 भूमि पर नियोजन उपरान्त सैक्टर सं0—02 के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0—जी0एच0—02, जिसका कुल क्षेत्र0 4055.40 वर्ग मीटर पर आगे अभिव्यक्त अधिकारों/शर्तों के अधीन समूह आवास प्रयोजन हेतु निजी स्वामित्व (फीहोल्ड) स्वीकार कर लिया है। प्राधिकरण की महायोजना/आसपास की भूमि के उपयोग के आधार पर वर्तमान में इस भूखण्ड का समूह आवास उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना है। अतः विकेता द्वारा केता से यह अपेक्षा की जाती है कि केता अनुसूची में वर्णित भूमि का उपयोग महायोजना में निर्दिष्ट/आसपास की भूमि के भू—उपयोग के अनुसार ही करेगा। भूखण्ड पर समूह आवास के रूप में मानचित्र स्वीकृति के अनुसार निर्माण कर सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा ।

For KMF Builders & Developers Limited

Director/Authorised Signatory

सम्पत्ति अधिकारी
मथुरा—वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा

2. अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति केता के पक्ष में फ्रीहोल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु केता द्वारा विकेता को फ्रीहोल्ड शुल्क सहित समूह आवास भूखण्ड के सम्पूर्ण मूल्य के किए गये भुगतान के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका केता पालन करेगा, को ध्यान में रखकर विकेता एतद्द्वारा वह सब भूखण्ड उसकी सीमाओं सहित जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न साइट प्लान में प्रदर्शित किया गया है, फ्रीहोल्ड घोषित करते हैं और उस पर केता को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और केता उसके दावाधिकारी तथा समनुदेशिती सदा के लिए उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

3. भूमि अर्जन के सम्बन्ध में यदि किसी न्यायालय के द्वारा मूल्य बृद्धि की जाती है तो आबंटी द्वारा देय होगी। योजना की अवस्थापना सुविधाओं को उच्चीकृत करने के लिए यदि किसी अतिरिक्त धनराशि की मांग प्राधिकरण द्वारा की जाती है तो आवंटी अतिरिक्त होने वाले व्यय का समानुपातिक मांग पत्र के अनुसार धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करायेगा । आवंटी द्वारा धनराशि जमा न कराये जाने की स्थिति में प्राधिकरण उस धनराशि को भू–राजस्व की भाँति वसूली करने का अधिकारी होगा इसके लिए किसी प्रकार का वाद द्वितीय पक्ष द्वारा योजित नहीं कराया जायेगा ।

4. इस विलेख के निष्पादन के दिनॉक से इसकी अनुसूची में वर्णित समूह आवास भूखण्ड पर केता को निजी स्वामित्व प्राप्त हो जायेगा और वह उस पर मानचित्र स्वीकृत कराते हुए मानचित्रानुसार समूह आवास के रूप में निर्माण कर स्वेच्छा से प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन प्रयोग या हस्तान्तरित कर सकेगा । हस्तान्तरण/अध्यासन से पूर्व भवन का नियमानुसार सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा । भूखण्ड पर निर्मित किये जाने वाले समूह आवास के सम्बन्ध में केता इस समय देय करों का अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का केता अथवा उसके उत्तराधिकारी द्वारा प्राधिकरण/स्थानीय निकाय को भुगतान करना होगा ।

For KMF Builders & Developers Limited

Director/Authorised Signatory

सम्पत्ति अधिकारी
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा

आवेदन सं०: 202300764036982

विक्रय पत्र

बही सं०: 1	**रजिस्ट्रेशन सं०:** 15665	**वर्ष:** 2023

प्रतिफल- 64724184 स्टाम्प शुल्क- 500 बाजारी मूल्य - 64725000 पंजीकरण शुल्क - 8029700 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 8029760

श्री सम्पत्ति प्रभारी कौशलेन्द्र **चौधरी** द्वारा
आशीष आर्या प्रमाणीकृत मुख्तार,
पुत्र श्री स्व० हरगोविन्द
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: एम०वी०डी०ए० मथुरा

श्री. सम्पत्ति प्रभारी कौशलेन्द्र **चौधरी** द्वारा आशीष आर्या प्रमाणीकृत मुख्तार

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में **दिनाँक** 06/07/2023 एवं
12:38:01 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय प्रकाश पाण्डेय
उप निबंधक :सदर द्वितीय
मथुरा
06/07/2023

अमर सिंह .
निबंधक लिपिक
06/07/2023

प्रिंट करें

5. द्वितीय पक्ष अर्थात केता को या उसके उत्तराधिकारी को समूह आवास के रूप में मानचित्रानुसार निर्माण कर सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए ही भवन में अध्यासन अनुमत करना होगा। केता (द्वितीय पक्ष) को उ0प्र0 अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण संवर्धन) अधिनियम 2010 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।

6. इस विलेख के उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर यदि कोई भी विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उसके दावेदार के बीच कभी उठ खड़ा हो तो वह निर्णय हेतु मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भेजा जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे ।

7. यदि किसी समय/अवसर पर यह पाया जाता है कि केता ने किसी तथ्य को छिपाकर अथवा मिथ्या तथ्यों के आधार पर अथवा त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतीकरण अथवा धोखाधड़ी के आधार पर यह विलेख निष्पादित कराया है तो यह विलेख प्राधिकरण के विकल्प (आप्शन) पर निष्प्रभावी /शून्य हो जायेगा । ऐसी स्थिति में प्राधिकरण को यह विलेख निरस्त करने तथा केता द्वारा भूमि कय किए जाने हेतु प्राधिकरण को किये गये भुगतान की धनराशि को जब्त करने का अधिकार होगा । इस सम्बन्ध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा एवं केता पर बाध्य होगा तथा किसी भी विधिक अथवा अन्य कार्यवाही में इस प्रकरण का विवाद नहीं उठाया जायेगा ।

8. इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यय होगा, केता वहन करेगा ।

9. अनुबंध विलेख के निष्पादन अथवा फ्रीहोल्ड विलेख की तिथि से 05 वर्ष (जो पहले हो) में प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त नियमानुसार भवन का निर्माण करना होगा । शासनादेशों के अनुसार नियमानुसार समय वृद्वि अनुमन्य होगी । निर्माण के उपरान्त अध्यासन से पूर्व भवन का सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करना होगा । योजना के अतिरिक्त सुदृढ़ीकरण हेतु प्राधिकरण द्वारा यदि कोई धनराशि अतिरिक्त रूप से व्यय की जाती है तो उसका समानुपातिक भाग आवंटी अथवा उसके उत्तराधिकारी द्वारा देना होगा ।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द (विकेता) और केता के सम्बन्ध में जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्यवस्था प्रसंगों से असंगत न हो, विकेता में उसके उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशिती का तथा केता में उसके दावाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव है ।

For KMF Builders & Developers Limited

Director/Authorised Signatory

सम्पत्ति अधिकारी
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा

आवेदन सं०: 202300764036982

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 15665 वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री सम्पत्ति प्रभारी कौशलेन्द्र चौधरी के द्वारा आशीष आर्या , पुत्र श्री स्व० हरगोविन्द

निवासी: एम०वी०डी०ए० मथुरा

व्यवसाय: नौकरी

क्रेता: 1

श्री मै० के०एम०एफ० बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स लि० के द्वारा गॉर्वे चड्ढा, पुत्र श्री स्व० सुरेन्द्र कुमार चड्ढा

निवासी: 907 फ्लोर 9 विक्रम टॉवर राजेन्द्र पैलेस नई दिल्ली

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री रामाशरण , पुत्र श्री जयन्त सिंह

निवासी: कृष्णा ग्रीन छटीकरा मार्ग वृन्दावन मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री नवीन अग्रवाल , पुत्र श्री केवल कुमार अग्रवाल

निवासी: कृष्णा ग्रीन छटीकरा रोड वृन्दावन मथुरा

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

विजय प्रकाश पाण्डेय
उप निबंधक : सदर द्वितीय
मथुरा
06/07/2023

अमर सिंह
निबंधक लिपिक मथुरा
06/07/2023

प्रिंट करें

11. यदि भविष्य में अग्नि, तूफान, बाढ़, सेना, अनियन्त्रित भीड़ के प्रदर्शन अथवा भूकम्प आदि प्राकृतिक आपदा से भवन अथवा उसके किसी भाग को क्षति होता है तो उसकी भरपाई के लिए प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा ।

12. यदि केता (द्वितीय पक्ष) एवं भवन के भविष्य में होने वाले अध्यापतियों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निवटारा सुसंगत नियमों के अन्तर्गत केता अथवा उसके उत्तराधिकारी को कराना होगा । प्राधिकरण इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

13. यदि केता (द्वितीय पक्ष) द्वारा उपरोक्त किसी नियम एवं शर्त सहित आवंटन नियम व शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उपाध्यक्ष, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण को नियमानुसार आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा ।

14. यह कि मुझे आशीष आर्या तसदीकी मुख्तार श्री कौशलेन्द्र चौधरी, अधिशासी अभियन्ता / प्रभारी सम्पत्ति, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा की बही नं0–06 जिल्द सं0–09 के पृष्ठ सं0–277–284 में कमांक नं0–33 पर दिनांक 06.08.2022 को हुई है के द्वारा प्रलेख प्रस्तुत करने के अधिकार प्राप्त है ।

इस विलेख के साक्ष्य में केता ने और विकेता की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं, उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है । इनमें अभिदिष्ट अनुसूची निम्नॉकित है:–

रूक्मणी विहार आवासीय योजना, वृन्दावन, (मथुरा) स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–जी0एच0–02 जिसका क्षेत्रफल 4055.40 वर्ग मी0 है जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:–

NORTH	–	PLOT NO. GH-03,
SOUTH	–	PLOT NO. GH-01,
EAST	–	30.00 M WD MASTER PLAN ROAD,
WEST	–	9.00 M WD ROAD,

सम्पत्ति अधिकारी
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा

प्राधिकरण की ओर से तथा
उसके द्वारा प्राधिकृत

केता के हस्ताक्षर

For KMF Builders & Developers Limited
Director/Authorised Signatory

मै0 के0एम0एफ0 बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स लि0,
द्वारा श्री गॉर्वे चड्डा पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र कुमार चड्डा (डायरेक्टर)
पता–907, 9–फ्लोर, विकम टॉवर, राजेन्द्र पैलेस, नई दिल्ली–110008

साक्षी–

साक्षी–

आवेदन सं०: 202300764036982

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 12022 के पृष्ठ 355 से 372 तक क्रमांक 15665 पर दिनाँक 06/07/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय प्रकाश पाण्डेय
उप निबंधक : सदर द्वितीय
मथुरा
06/07/2023

Director/Authorised Signatory

16-/2014

PLAN OF GROUP HOUSING PLOT NO.GH-02 SEC-1
RUKMANI VIHAR AVASIYA YOJNA,
SITUATED AT VRINDAVAN CHHATIKARA ROAD VRINDAVAN, MATHURA.
MARKED A,B,C,D,E & COLOURED RED
OWNED BY-MATHURA-VRINDAVAN DEVELOPMENT AUTHORITY, MATHURA.

BOUNDARY-

NORTH - PLOT NO.GH-03
SOUTH - PLOT NO.-GH-01
EAST - 30.00M WD MASTER PLAN ROAD
WEST - 9.00M WD. ROAD

PLOT AREA=4055.40 SQ.MT.

NOTE-THIS PLAN IS VALID ONLY FOR PLOT NO.GH-02 ONLY

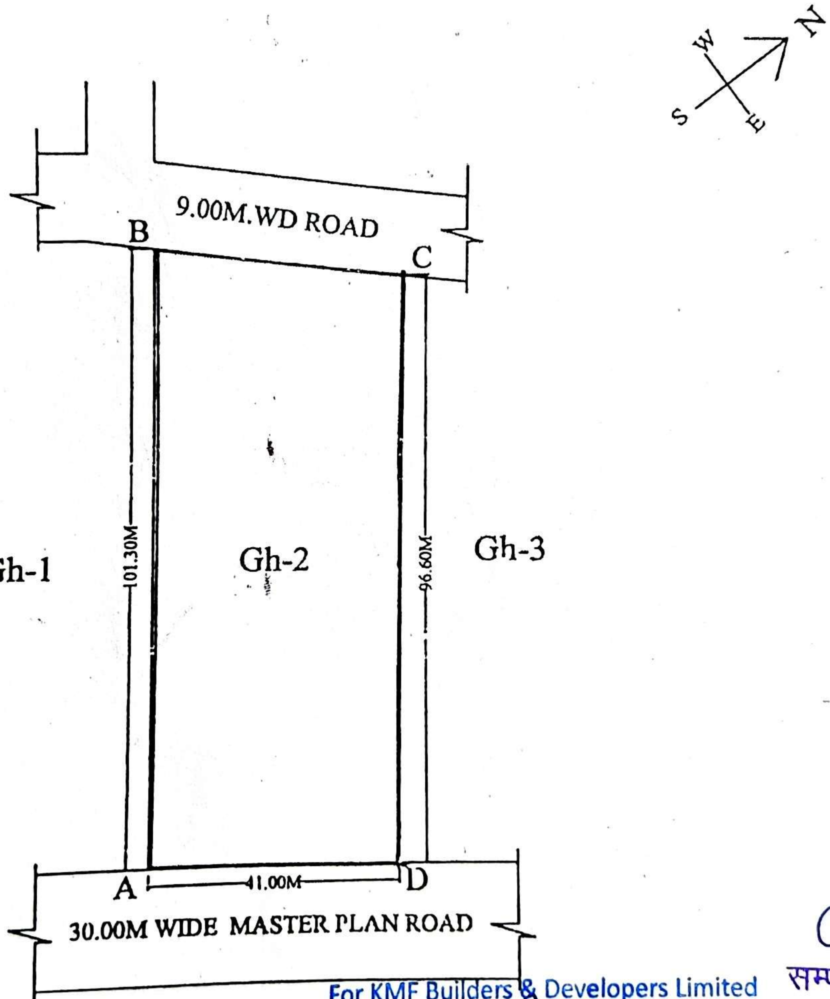

For KMF Builders & Developers Limited
Director/Authorised Signatory

सम्पत्ति अधिकारी
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा

मुकेश बाबू
मानचित्रकार
म0 वृ0 वि0 प्रा0, मथुरा
D/MAN.
DRAWN BY

J.E.
MEASUREMENT BY

A.E.
CHECKED BY

सचिव
मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा
SECRETARY

MATHURA-VRINDAVAN DEVELOPMENT AUTHORITY, MATHURA

SITE PLAN OF GROUP HOUSING PLOT NO.GH-02
RUKMANI VIHAR AVASIYA YOJNA,
SITUATED AT VRINDAVAN CHHATIKARA ROAD VRINDAVAN, MATHURA.
MARKED A,B,C,D,E & COLOURED RED
OWNED BY-MATHURA-VRINDAVAN DEVELOPMENT AUTHORITY, MATHURA.

BOUNDARY-

PLOT AREA=4055.40 SQ.MT.

NORTH - PLOT NO.GH-03
SOUTH - PLOT NO.-GH-01
EAST - 30.00M WD MASTER PLAN ROAD
WEST - 9.00M WD. ROAD

NOTE-THIS PLAN IS VALID ONLY FOR PLOT NO.GH-02 ONLY

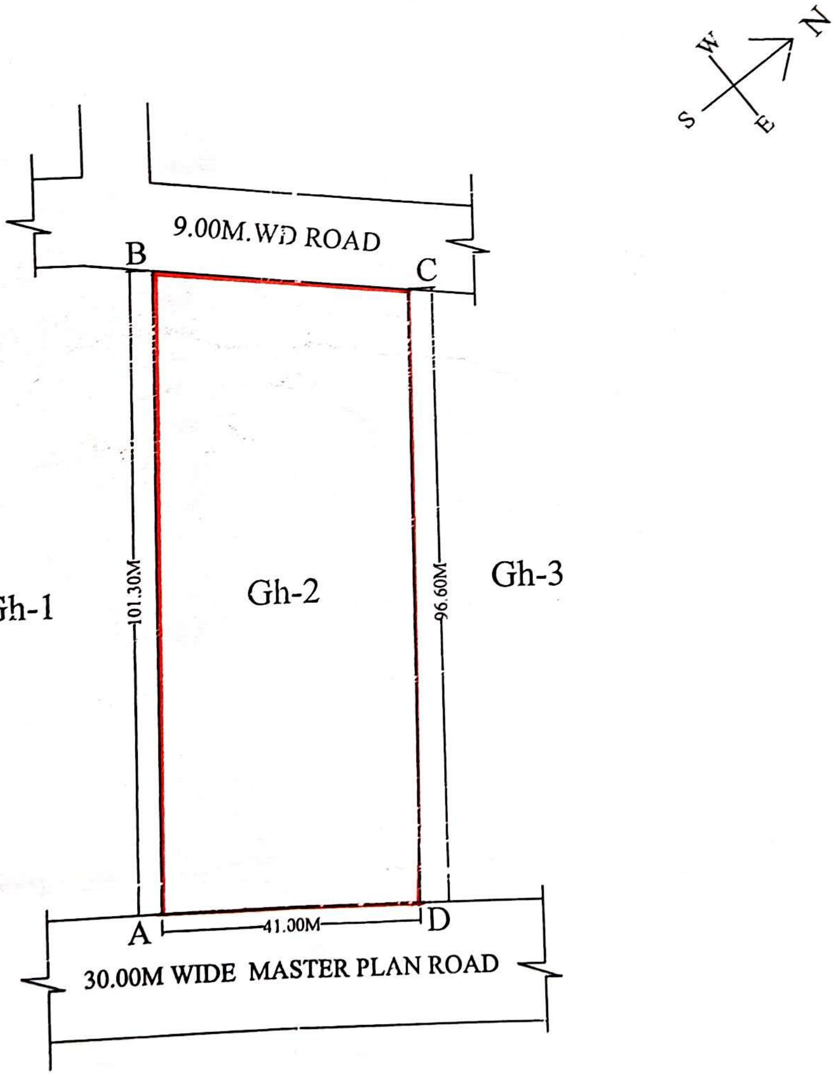

मुकेश बाबू
मानचित्रकार
म० वृ० वि० प्रा०, मथुरा

D/MAN.
DRAWN BY

J.E.
MEASUREMENT BY

A.E.
CHECKED BY

सचिव
मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा
SECRETARY

MATHURA-VRINDAVAN DEVELOPMENT AUTHORITY, MATHURA